इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2026—माघ 10, शक 1947

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2026

क्रमांक.- एफ - एम.आई.एन./1/0004/2025-0/o यू.एस.-12(एम.आर.डी.).- खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 के साथ पठित धारा 9ख एवं धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

:: संशोधन ::

उक्त नियमों में :-

1. नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"7. **प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइस) का निर्धारण** - समूह की निविदा में सम्मिलित समस्त खदानों में पृथक-पृथक उपलब्ध रेत मात्रा (घनमीटर में) के कुल योग का 250 गुना (रूपये में), उस समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइस) होगा:

परन्तु समूह के प्रारंभिक आधार मूल्य की गणना, रेत की मांग के आंकलन के आधार पर, समस्त खदानों की मात्रा के कुल योग से भिन्न मात्रा भी निर्धारित की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि माइन डेव्हलपर-कम-ऑपरेटर द्वारा ठेका समर्पण किया जाता है, तो संबंधित रेत समूह की पुनर्निविदा की शर्त पर, उस समूह का प्रारंभिक आधार मूल्य, मूल अनुबंध के निष्पादन की तिथि से ठेका समर्पण प्रभावी होने की तिथि तक की अवधि के लिए, प्रत्येक वर्ष अथवा उसके भाग के लिए, दस प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाएगा।

उदाहरण - माइन डेव्हलपर-कम-ऑपरेटर द्वारा दिनाँक 15.04.2023 को अनुबंध का निष्पादन किया गया एवं दिनाँक 01.05.2025 को समर्पण का आवेदन प्रस्तुत किया गया, तब समर्पण दिनाँक 01.08.2025 को लागू होगा। पुनर्निविदा पर ठेके के प्रारंभिक आधार मूल्य की गणना 30 प्रतिशत तक अर्थात् पचहत्तर रूपये (रूपये 250 x 10% x 3) प्रति घनमीटर बढ़ाई जाएगी।"।

2. नियम 8 में, उपनियम (6) में, शब्द एवं अंक "उक्त बैंक गारंटी निविदा प्रस्तुत करनें की तिथि से 180 दिन की अवधि के लिए वैध होगी" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "उक्त बैंक गारंटी निविदा आमंत्रित करने वाली सूचना की तिथि से 240 दिन की अवधि के लिये वैध होगी।" स्थापित किए जाएं।

3. नियम 11 में, उप-नियम (2) तथा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

"(2) यदि सफल निविदाकार 7 कार्य दिवस की समयावधि में राशि जमा करने में असफल रहता है, तो सफल निविदाकार कारण निर्दिष्ट करते हुए निगम से अतिरिक्त समयावधि की मांग का अनुरोध कर सकेगा। निगम समुचित कारणों के आधार पर अधिकतम 10 दिवस की अतिरिक्त समयावधि प्रदान कर सकेगा।

(4) यदि सफल निविदाकार समयावधि में अथवा उप-नियम (2) के अधीन यथा विहित विस्तारित समयावधि में उसके द्वारा देय राशि जमा करने में असफल रहता है, तो निगम, निविदा निरस्त करने के पश्चात् जमा की गई अग्रिम जमा राशि का अधिहरण कर लेगा एवं पुनः ई-निविदा-सह-नीलामी की कार्रवाई प्रारंभ करेगा।"।

4. नियम 15 में,-

(1) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(1) निगम द्वारा ठेका समूह में सम्मिलित खदानों के माइन डेव्हलपर-कम-ऑपरेटर द्वारा इन नियमों तथा उसके अधीन निष्पादित अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की दशा में, विहित समयावधि में देय राशि जमा न करने, पर्यावरण नियमों के अपालन, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किए जाने, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने या अन्य गंभीर त्रुटि किए जाने के कारण निगम, नियमों तथा अनुबंधों के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन का विस्तृत विवरण देते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा। निगम के प्रबंध संचालक अथवा प्रबंध संचालक द्वारा, सम्यक रूप से अधिकृत कार्यपालक संचालक के द्वारा माइन डेव्हलपर-कम-ऑपरेटर से उल्लंघनों के संबंध में प्राप्त उत्तर का परीक्षण करने के पश्चात्, सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, या तो ठेका निरस्त कर सकेगा या अन्य कोई निर्णय ले सकेगा।

ऐसे माइन डेव्हलपर-कम-ऑपरेटर तथा उनके स्वत्वधारी/संचालक/भागीदार, जिनका रेत खदानों के समूह का ठेका निरस्त किया जाता है, प्रबंध संचालक द्वारा उन्हे विभाग की ब्लैक लिस्ट में शामिल किये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा एवं ठेका निरस्तीकरण की तिथि से तीन वर्ष के लिए विभाग के किसी भी ठेके में भाग लेने हेतु प्रतिषिद्ध किया जा सकेगा।"।

(2) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(4) यदि किसी समूह के माइन डेव्हलपर-कम-ऑपरेटर के साथ निष्पादित अनुबन्ध को निरस्त किया जाता है, तो माइन डेव्हलपर-कम-ऑपरेटर द्वारा जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि निगम के पक्ष में राजसात की जाएगी तथा नियम 19 के उप-नियम (3) में विहित दर के अनुसार ब्याज को सम्मिलित कर बकाया राशि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के उपबंधों के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।"।

5. नियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"16. **समूह का समर्पण -**

(1) अनुबंध निष्पादन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक रेत समूह के समर्पण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। विहित अवधि के उपरांत, माइन डेव्हलपर-कम-ऑपरेटर समर्पण तिथि से न्यूनतम तीन माह की लिखित सूचना देकर निगम को समूह समर्पण का आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु माइन डेव्हलपर-कम-ऑपरेटर द्वारा राज्य शासन और निगम को समस्त शोध्यों एवं निर्विवाद राशि के भुगतान किये जाने एवं राज्य शासन द्वारा समर्पण के लिए अनुमोदन प्रदान किये जाने पर, समर्पण का आवेदन स्वीकार किया जायेगा। उक्त शर्तों की अपूर्णता की स्थिति में, संबंधित ठेका, नियम 15 के उपबंधों के अधीन निरस्त माना जाएगा:

परन्तु यह और कि, एक बार समर्पण आवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने पर, उक्त आवेदन अपृक्करणीय होगा तथा तीन माह की सूचना अवधि समाप्त होने पर, माइन डेव्हलपर-कम-ऑपरेटर द्वारा अनुबंध में विहित शर्तों एवं उपबंधों के अनुसार, समूह का भौतिक एवं विधिक कब्जा निगम को सौंप दिया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि, निष्पादित अनुबंध की अवधि की समाप्ति से छह माह पूर्व समर्पण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) समर्पण आवेदन प्राप्त होने पर, निगम संबंधित समूह की पुनः ई-निविदा-सह-नीलामी की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करेगा, जिसके लिए प्रारंभिक आधार मूल्य का निर्धारण नियम 7 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(3) माइन डेव्हलपर-कम-ऑपरेटर अथवा उसके स्वत्वधारी/संचालक/भागीदार, जिसने समूह का समर्पण कर दिया हो, तो वह निष्पादित अनुबंध की तिथि से अगले तीन वर्ष की अवधि तक उक्त समूह की ई-निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने के लिए अर्ह नहीं होगा।

(4) यदि पुनः ई-निविदा-सह-नीलामी में कोई हानि होती है तो इसका समायोजन पूर्व माइन डेव्हलपर-कम-ऑपरेटर की जमा सुरक्षा राशि से किया जाएगा। यदि समायोजन उपरांत हानि की पूर्ति नहीं होती है, तो शेष राशि भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी। अन्यथा, माइन डेव्हलपर-कम-ऑपरेटर की सुरक्षा राशि बिना किसी ब्याज के लौटा दी जायेगी।"।

No.-F-MIN/1/0004/2025-O/o US-12(MRD).- In exercise of the powers conferred by section 15 and section 23C read with section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rules, 2019, namely :-

:: AMENDMENTS ::

In the said rules :-

1. For rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7. **Determination of initial base price (upset price) -** The initial base price (upset price) of that group shall be 250 times (in rupees) of the sum total of available sand quantity (in cubic meters) separately in all the mines included in the tender of the group:

Provided that calculation of initial base price of the group, on the basis of estimation of demand of sand, quantity different from the sum total of quantity of all mines may also be determined:

Provided further that if contract is surrendered by Mine Developer cum Operator, then on the condition of re-tender of concerned sand group, the initial base price of that group shall be enhanced by the rate of ten percent for the period from the date of execution of original agreement to the effective date of surrender of contract, for the year or part thereof.

Example - Execution of agreement made by Mine Developer cum Operator on 15.04.2023 and submit an application of surrender on date 01.05.2025 then surrender shall be applicable on date 01.08.2025. The calculation of initial base price of the contract on re-tender shall be enhanced by thirty percent means rupees Seventy Five (rupees 250 x 10% x 3) per cubic meter.".

2. In rule 8, in sub-rule (6), for the words and figure "The said bank guarantee shall be valid for a period of 180 days from the date of submission of tender", the words and figure "The said bank guarantee shall be valid for a period of 240 days for the date of notice inviting tender." shall be substituted.

3. In rule 11, for sub-rule (2) and (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(2) If the successful tenderer fails to deposit the amount within the stipulated period of 7 working days, the successful tenderer may after specifying the reasons, request to the Corporation to grant additional time period. The Corporation may grant maximum 10 days additional time period on the basis of appropriate reasons.

(4) If the successful tenderer fails to deposit the amount payable by him in prescribed time or extended time as prescribed under sub-rule (2), the Corporation shall confiscate Earnest Money Deposit amount after cancelling the tender and initiate the action for re-e-tender-cum-auction.".

4. In rule 15,-

(1) For sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) In case of violation of these rules and conditions of contract executed thereunder by the Mine Developer cum Operator of the mines included in the contract group by the Corporation, due to non deposit of the due amount within the prescribed time period, non observance of environmental rules, excavation outside the sanctioned area, mining of excess of permitted quantity or other serious errors, the Corporation shall issue a show cause notice giving detailed description of violation of the rules and terms and conditions of agreement. The Managing Director of Corporation or the Executive Director duly authorised by the Managing Director, after examining the reply received from the Mine Developer cum Operator regarding the violations, after giving a reasonable opportunity of hearing may, either cancelled the contract or take any other decision.

The decision to include such Mine Developer cum Operators and their Proprietor/Director/Partner in the black list of the department whose contracts for the group of sand mines is cancelled may be taken by the Managing Director and may be prohibited to participate in any contract of the department for three years from the date of cancellation of the contract.".

(2) After sub-rule (3), the following sub-rule shall be added, namely:-

"(4) If executed contract with the Mine Developer cum Operator of any group is cancelled, then the whole security amount deposited by Mine Developer cum Operator in favour of Corporation shall be confiscated and recovery of payable arrears including the interest as per the rates prescribed in sub-rule (3) of rule 19 shall be recovered as an arrears of land revenue according to the provisions of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).".

5. For rule 16, the following rule shall be substituted, namely:-

"16. **Surrender of Group -**

(1) Application for the surrender of sand group may not be made till the period of one year from the date of execution of agreement. The Mine Developer cum Operator may submit application for surrender of group after prescribed period by giving notice of minimum three months from the date of surrender to the Corporation:

Provided that application of surrender shall be accepted only on payment of all the dues and non controversial amount of the State Government and Corporation by the Mine Developer cum Operator and approval of the State Government for the surrender. On incompletion of said conditions the concerned contract shall be deemed to be cancelled under the provisions of rule 15:

Provided further that once the application of surrender is submitted, then said application shall be inseparable and after the end of period of information of three months, physical and legal possession of the group shall be handed over by Mine Developer cum Operator to Corporation as per the conditions and provisions prescribed in agreement:

Provided also that the application of surrender shall not be considered prior to six months from the end period of executed contract.

(2) On receipt of application of surrender Corporation shall immediately initiate the process for re-e-tender-cum-auction of concerned group, for which the fixation of initial base price shall be made according to the provision of rule 7.

(3) The Mine Developer cum Operator or his Proprietor/Director/Partner, who has surrendered the group, shall not be eligible to participate in the e-tender-cum-auction of the said group for a period of next three years from the date of surrender of executed contract.

(4) If any loss occurs in the re-e-tendering-cum-auction, it shall be adjusted against the security amount deposited by the former Mine Developer cum Operator. If the loss is not covered after adjustment, the remaining amount may be recovered as an arrears of land revenue. Otherwise, the security amount of Mine Developer cum Operator shall be returned without any interest.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.